

कार्यालय अधिष्ठाता

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)- 490024

(पूर्व नाम- चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय कचान्दूर, दुर्ग,छ.ग.)

क्रमांक/ FINACC-38029/1216/2026-PURCHASE SECTION (GMC DURG) दुर्ग, दिनांक / /2026

// कोटेशन सूचना //

चन्दूलाल चन्द्राकर स्मृति शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय, दुर्ग में राष्ट्रीय पर्वो 15 अगस्त “स्वतंत्रता दिवस” एवं 26 जनवरी “गणतंत्र दिवस” के उपलक्ष्य में रोशनी की व्यवस्था किया जाना है इस हेतु इच्छुक फर्मों से बंद लिफाफे में कोटेशन आमंत्रित की जाती है। कोटेशन में दिये जाने वाले सामग्री का विवरण निम्न प्रारूप में प्रस्तुत किया जाना है :-

क्र.	विवरण/कार्य की प्रकृति	दर प्रति दिवस (रु.)	टैक्स	कुल व्यय (रु.)
01	महाविद्यालय भवन में रोशनी (Lighting Work) की व्यवस्था संबंधी कार्य			

नियम एवं शर्तें :-

01. प्राक्कलन के प्राप्त दर की वैधता एक वर्ष तक मान्य रहेगी । प्रस्तुत दरों पर आवश्यकता की दशा में आदेश किये जाने पर पूरे वर्ष कार्य किया जाना होगा ।
02. प्राक्कलन के साथ जी.एस.टी. या कोई अन्य टैक्स हो तो स्पष्ट उल्लेख अवश्य करें ।
03. आवेदित/चयनित फर्म के राज्य शासन या उसके किसी भी संस्था अथवा विभाग द्वारा फर्म को काली सूची (Black Listed) में होने की जानकारी की दशा में ऐसे फर्म का आवेदन निरस्त कर दिया जावेगा ।
04. समस्त क्रय की प्रक्रिया छ.ग.भण्डार क्रय नियम 2002 अथवा प्रचलित शासन के भण्डार क्रय नियम/शासकीय नियम के अनुसार शासित होंगे ।
05. अतः उपरोक्तानुसार प्रस्ताव/भावपत्र मुहरबंद लिफाफे में वेबसाईट में जारी दिनांक से 07 दिवस के भीतर कार्यालयीन समय संध्या 5.00 बजे तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा । विलंब से प्राप्त कोटेशन/प्रस्ताव मान्य नहीं किये जावेंगे ।

अधिष्ठाता

शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय

कचान्दूर, दुर्ग (छ.ग.)